न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./23/2018/बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. गंगाराम पुत्र दुर्गाराम जाति कुम्हार निवासी नागणेचिया ढुढ़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

1.मुलाराम पुत्र किरताराम
2.भुराराम पुत्र किरताराम
3.लाधुराम पुत्र किरताराम
4.डालुराम पुत्र किरताराम
5.मुस्मात अमियांदेवी बेवा किरताराम
6.मुलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति कुम्हार निवासी नागणेचिया ढुढ़ा तहसील व जिला बाड़मेर।
7.तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 153/2013 बअनवान गंगाराम बनाम मूलाराम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रेम प्रजापत रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 14.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट का पैतृक सहदायिक खानदानी सम्पति वक्त बंदोबस्त अविभाजित ग्राम ढुढा तहसील बाड़मेर का खेत खसरा संख्या 123 रकबा 53.08 बीघा का अवस्थित है। जिसका वर्तमान राजस्व ग्राम हनुमान नगर ढुढा खसरा संख्या 646/123 रकबा 17.16 बीघा है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 6 मुलाराम अपीलाधीन आराजी के सह खातेदार स्व. दुर्गाराम के जायदा पुत्र है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 6 का इस आराजी में हिन्दु विधि के अनुसार हक हकुक अपने पिता स्व. दुर्गाराम के साथ जन्म के उसी समय ही पैदा हो गया इस प्रकार हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार सहदायिक सम्पति में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 6 स्व. दुर्गाराम के साथ जन्म के उसी समय ही पैदा हो गया इस प्रकार हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार सहदायिक सम्पति में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 6 स्व. दुर्गाराम का अपीलाधीन आराजी में 1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर उतरदातागण को तलब किया गया। जिस पर उतरदाता संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया। शेष अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल दरामद की गई। उतरदातागण ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई जबावदावा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं किया और न ही उसने कोई सबूत, साक्ष्य पेश किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना मनमाने ढंग से अपीलांट का वाद एकतरफा खारिज कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य व सबूत नहीं लिया और न ही उतरदाता से कोई जबावदावा लिया। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से न्याय आपके द्वारा लोक अदालत में खानापूर्ति करने के उद्देश्य से अपीलांट को वाद एकतरफा खारिज कर दिया। पत्रावली न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ढुढ़ा में रखी गई। जिसके संबंध में अपीलांट पर कोई नोटिस तामील नही हुए और न ही अपीलाण्ट को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकीयात कायम नहीं की और न ही अपीलांट की तरफ से मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ–पत्र ही प्राप्त किये। इस प्रकार अपीलांट को कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया। अपीलाधीन आराजी अपीलांट को 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषित करने की मुख्य अनुतोष चाहा और उक्त घोषणा करने के पश्चात बैचानो व उसके आधार पर पारित नामान्तकरण अपीलांट के अधिकारों के प्रति अवैध, शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष था। उक्त आश्य के वाद को सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बैचान सम्बन्धी अनुतोष राजस्व न्यायालय का नही होने का मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

RRT 2012(2) Page 1056

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। गत बंदोबस्त में वादग्रस्त खसरा संख्या 123 रकबा 53.08 बीघा भूमि दुर्गा, जोधा, भीखा पिसरान कालू जाति कुम्हार के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हुई। वादग्रस्त भूमि में खातेदार दुर्गा ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया है, इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कब्जा को वादी/अपीलांट स्वयं अपने वाद पत्र में स्वीकार करता है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में अपीलांट/वादी किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि वादिनी प्रतिवादी के नाम आवंटित की गई है। पंजीकृत विक्रय पत्र प्रमाण में है। पंजीकृत विक्रय पत्र के प्रमाण में पहले वादी सक्षम न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है जिसमें हस्तक्षेप करने की गुंजाईश नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ निर्णय को बहाल रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया कि पत्रावली न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प कोटे ग्राम पंचायत बूठा में रखी गई। जिसके संबंध में अपीलांट पर कोई नोटिस तामील नहीं हुए और न ही अपीलांट को सूचित किया गया। बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये हुए उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई। उत्तरवादी संख्या 1 से 4 ने अपीलांट को बेदखल करने की धमकियां दी और उक्त वाद का निर्णय अपने पक्ष में होना बताया। जिस पर अपीलांट द्वारा नकल मांगी गई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब स्वाभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी स्वाभाविक नहीं तथा अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का विवरण बताना पड़ता है। लेकिन अपील पेश करने में हुई देरी का विवरण नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादग्रस्त भूमि मूल बूंठा के मूल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 123 रकबा 53.08 बीघा रिकॉर्ड अनुसार वक्त सेटलमेंट भू प्रबंधक विभाग की खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2031 के मुताबिक जोधा, मूला, चीमा पि0 कालू कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज हुई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार यह भूमि अपीलांट के पिता मूला(मूलाराम) ने वक्त सेटलमेंट अपनी सहखातेदारी में अपने दो भाईयों के साथ प्राप्त की। यह भूमि उसके पिता कालू के नाम रिकॉर्ड में नहीं थी। इस दृष्टि से उक्त भूमि उसकी पुश्तैनी साबित नहीं है बल्कि यह स्व अर्जित भूमि है। अपीलांट के पिता का इसमें 1/3 हिस्सा निहित था जिसका व्ययन करने का वह कानूनी रूप से अधिकारी था और उसने इस अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी सहखातेदारी की संपूर्ण 1/3 हिस्सा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र निष्पादित करते हुए दिनांक 06.02.1978 को विक्रय कर दी जिसका आगे क्रमिक बेचान हुआ और यह पृथक खाते में दर्ज होकर खसरा संख्या 123/1 रकबा 17.06 बीघा तदनुसार वर्तमान खसरा संख्या 646/123 रकबा 17.06 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 के नाम खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट के पिता द्वारा किया गया रजिस्टर्ड बेचान विधि सम्मत है और इसकी विद्यमानता में अपीलांट कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय परीक्षणोपरांत विधि अनुकूल एवं उचित पाया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि इंगित नहीं होती है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 153/2013 बअनवान गंगाराम बनाम मूलाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner